

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No. 2021 / 169  
Manual no- 69/2021

(Bank Case)

Hinduja Housing Finance Limited, Registered Office 27-A, Developed Industrial Estate, Guindy, Chennai, Tamil Nadu, India-600032 Regional Office 21/22, Upper Ground Floor, UGF, Jaipur Electronic Market Building, Opp. Riddi Siddhi Sweets Gopalpura Bypass, Jaipur-302018 Through Its Authorized Officer Mr. Rahul Neb.

– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. Mr. Amrit Lal (ऋणी/अप्रार्थीगण)  
Address- Babu nagar, Kachhi Basti, Balita Road, Kunhadi, Kota 324008
2. Mrs. Mamta Bai W/o Amrit Lal (गारन्टर)  
Address- Babu nagar, Kachhi Basti, Balita Road, Kunhadi, Kota 324008



प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्युरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री अशोक कट्टा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 08.09.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि Hinduja Housing Finance Limited, Registered Office 27-A, Developed Industrial Estate, Guindy, Chennai, Tamil Nadu, India Regional Office 21/22, Upper Ground Floor, UGF, Jaipur Electronic Market Building, Opp. Riddi Siddhi Sweets Gopalpura Bypass, Jaipur से अप्रार्थीगण ने कुल ऋण रु. 12,00,000 (अक्षरे: रूपये बारह लाख मात्र ) ऋण राशि दिनांक 27.11.2016 को लिया था । अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 1588, बापू नगर, कच्ची बस्ती, बालिता रोड, कुन्हाडी, कोटा (राज.) में स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 105.11 वर्ग गज) सीमाएं- पूर्व में- प्लॉट कालू का, पश्चिम में- रोड, उत्तर में- प्लॉट रामनारायण, दक्षिण में- प्लॉट परसराम को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 28.02.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते में 12,61,121/- (अक्षरे रूपये बारह लाख इकषट हजार एक सौ इक्कीस मात्र ) बकाया रकम दिनांक 16.09.2020 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए

2  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज.)

अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत दिनांक 18.09.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 18.09.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 18.09.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है । अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 1588, बापू नगर, कच्ची बस्ती, बलिता रोड, कुन्हाडी, कोटा (राज.) में स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 105.11 वर्ग गज) सीमाएं- पूर्व में- प्लॉट कालू का, पश्चिम में- रोड, उत्तर में- प्लॉट रामनारायण, दक्षिण में- प्लॉट परसराम का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 08.09.2021 को सुनाया गया ।

2/8/21  
(उज्ज्वल राठौड़)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज.)